(3)

संख्या : 1282/छप्पन–14–4/09

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2014

विषय : नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ स्थित हैंगर संख्या–1 में प्रथम तल पर कक्षों के निर्माण कार्यो की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 435/ना0उ0/2014, दिनांक 01.8.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ परिसर स्थित हैंगर संख्या–1 के प्रथम तल पर कक्षों के निर्माण हेतु कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा गठित आगणन रूपये 39.61 लाख के सापेक्ष रूपये 35.89 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014–2015 में लखनऊ एयरपोर्ट स्थित हैंगर संख्या–1 के प्रथम तल पर कक्षों के निर्माण हेतु रूपये 35,89,000/– (रूपये पैंतीस लाख नवासी हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त प्रयोजना के कार्य मदों की स्थापना का कार्य सुसंगत नियमों के अधीन कराया जाय।

3– सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा पूर्व में कराये गये कार्यो की द्विरावृत्ति न हो।

4– प्रायोजना में प्रयुक्त सामग्री की मात्राओं/गुणवत्ता की सुनिश्चिता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

5– निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने खाते में जमा करने पर यदि ब्याज अर्जित किया जायेगा तो उसे राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

6– प्रायोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाय तथा भविष्य में प्रायोजना का पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

––2

7— प्रायोजना के सम्परीक्षित विस्तृत लेखा–जोखा विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

8— उक्त स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ कराने के पूर्व कार्यदायी संस्था से वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध करा लिया जायेगा। जिसमें आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघ किये जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

9— उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 के अधीन लेखा शीर्षक–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अर्जन–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 1282 (1)/ छप्पन–14–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार–प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।

3— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4— परियोजना प्रबन्धक, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

5— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7 / नियोजन अनुभाग–4

6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।